

निगमित शासन पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट

कंपनी का नाम : पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
तिमाही : 30 जून, 2010

विवरण	सूचीयन करार का खण्ड	अनुपालन प्रास्थिति हाँ/नहीं	टिप्पणी
<b>I. निदेशक मंडल</b>	49 (I)		
(क) बोर्ड का गठन	49 (Iक)	नहीं	<p>वर्तमान में निदेशक मंडल के 9 सदस्य हैं। इनमें से अध्यक्ष, 2 सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा 3 स्वतंत्र निदेशकों सहित 4 पूर्णकालिक निदेशक हैं।</p> <p>सूचीयन करार में विनिर्दिष्ट है कि बोर्ड का अध्यक्ष यदि कार्यकारी निदेशक हो तो कम से कम आधा बोर्ड स्वतंत्र निदेशकों का हो।</p> <p>कंपनी ने भारत सरकार से निवेदन किया है कि वे कंपनी के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की शेष रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, ताकि बोर्ड का गठन सूचीयन करार के अनुरूप हो सके।</p>
(ख) गैर-कार्यकारी निदेशकों का वेतन एवं प्रकटन	49 (Iख)	हाँ	बोर्ड द्वारा यथानुमोदित कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत यथाविहित सीमाओं के भीतर स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त केवल सिटिंग फीस
(ग) बोर्ड एवं समितियों से संबंधित अन्य प्रावधान	49 (Iग)	हाँ	
(घ) आचरण संहिता	49 (Iघ)	हाँ	
<b>II. लेखा-परीक्षा समिति</b>	49 (II)	हाँ	
(क) अर्हता प्राप्त एवं स्वतंत्र लेखा-परीक्षा समिति	49 (IIक)	हाँ	

विवरण	सूचीयन करार का खण्ड	अनुपालन प्रास्थिति हाँ/नहीं	टिप्पणी
(ख) लेखा-परीक्षा समिति की बैठक	49 (IIख)	हाँ	
(ग) लेखा-परीक्षा समिति की शक्तियाँ	49 (IIग)	हाँ	
(घ) लेखा-परीक्षा समिति की भूमिका	49 II(घ)	हाँ	
(ङ) लेखा-परीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा	49 (IIङ)	हाँ	
<b>III. सहायक कंपनियाँ</b>	49 (III)	हाँ	खंड (i) के अतिरिक्त, जो लागू नहीं है।
<b>IV. प्रकटन</b>	49 (IV)		
(क) संबद्ध पार्टी ट्रांजेक्शन के आधार	49 (IV क)	लागू नहीं	
(ख) लेखांकन ट्रीटमेंट का प्रकटन	49 (IV ख)	लागू नहीं	
(ग) बोर्ड प्रकटन	49 (IV ग)	हाँ	
(घ) पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, प्रेफ़ेंशियल इश्यू आदि से आय	49 (IV घ)	लागू नहीं	आईपीओ से प्राप्त आय पूर्णतः उपयोग की गई।
(ङ) निदेशकों का पारिश्रमिक	49 (IV ङ)	हाँ	
(च) प्रबंधन	49 (IV च)	हाँ	
(छ) शेयरधारक	49 (IV छ)	हाँ	
<b>V. सीईओ/सीएफओ स्पष्टीकरण</b>	49 (V)	हाँ	
<b>VI. निगमित शासन पर रिपोर्ट</b>	49 (VI)	हाँ	
<b>VII. अनुपालन</b>	49 (VII)	हाँ	

(जे.एस.अमिताभ)

कंपनी सचिव